न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—377 / 2016 / 223 (2016 / 00377)

1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 रामकरण, माली, जाति माली, निवासी जूनिया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. बदरीलाल पुत्र रामकरण, जाति माली, नि0 ग्राम जूनिया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. मंदिर श्री गोपाल सा0 देह ग्राम जूनिया, जरिये अहतमाम गणपतदास चेला परमेश्वर दास ग्राम जूनिया, तह0 केकड़ी जिला अजमेर हाल नि0 पो0 ग्राम बाय, जिला सीकर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकड़ी दिनांक 16.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 4098 / 2015.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0 राजावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 .
3. वकील रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—31.8.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.5.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 सपठित धारा 136 राज0भू—राजस्व अधि0 1956 के तत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की वादग्रस्त आराजियात वाके ग्राम जूनिया, तह0 केकड़ी में स्थित है जिसके जमाबंदी वर्किंग के खसरा नंबर 1407 रकबा 14 बीघा 10 किस्म चाही—2 है जिसे वादी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 11.7.1986 को क्रय की थी किन्तु उक्त आराजियात विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के नाम दर्ज नहीं किये जाने से वादीगण ने यह वाद पेश किया है जिसे स्वीकार किया जाकर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी

निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.5.2016 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद पोषणीय नहीं मानकर खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि ग्राम जूनिया तहसील केकड़ी स्थित साबिक खसरा नबर 2045 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 1407 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही–2 भूमि परमेश्वर दास, जाति साधू के खातेदारी व आधिपत्य की थी । विवादित भूमि न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 162/1980 में पारित आदेश दिनांक 7.1.1984 की पालना में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 741 दिनांक 26.9.1984 गणपतदास के नाम खातेदार स्वीकृत की गई । गणपत दास द्वारा उक्त वर्णित भूमि को विक्रय पत्र दिनांक 11.7.1986 से अपीलांटस ने क्रय कर कब्जा काश्त संभाल लिया था तथा विक्रय पत्र दिनांक 11.7.1986 के आधार पर अपीलांटस के नाम के नाम नामांतकरणस ंख्या 113 दिनांक 19.7.1986 स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में अपीलांटस के नाम खातेदारी दर्ज की गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अजमेर जिले में भू–संशोधन कार्यवाही सन् 1983 में समाप्त करते हुए वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 प्रचलन में रही परन्तु सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर द्वारा भू–प्रबंध की कार्यवाही सन् 1983 की समाप्ति के पश्चात् अपीलांटस खातेदार को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना क्षैत्राधिकार से परे जाकर नामांकरण संख्या 336 दिनांक 22.9.1989 द्वारा विवादित आराजियात को रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जिसका की भू–प्रबंध विभाग का कोई अधिकार नहीं था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस द्वारा भू–प्रबंध विभाग की उक्त कार्यवाही आदेश को अधी0न्याया0 में चुनौती दिये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने वाद प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 की तलबी में विचाराधीन होने के बावजूद आदेश 5 नियम 15 से 20 जा0दी0 की पालना किये बिना राजस्व कैम्प जूनिया दिनांक 16.5.2016 को निर्णित कर खारिज कर दिया, जो विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 द्वारा एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.5.2016 पारित किये जाने से आदेश 8 नियम 1, आदेश 14 नियम 1 व 2, आदेश 18 नियम 1 एवं आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 में वर्णित विधिक प्रावधानों का उल्लघंन होने से अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिक नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.5.2016 को खारीज किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.7.2016 को उपस्थित होने के लिये कहा गया था लेकिन उक्त दिनांक को अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता के अधी0न्याया0 में उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा अवगत कराया कि पत्रावली के कैम्प कोर्ट के वास्ते में होने व पत्रावली उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया गया । तत्पश्चात् अपीलांटस द्वारा बार–बार कोर्ट में जाकर अपने वाद की जानकारी चाही तो दिनांक 22.8.2016 को उक्त अपीलाधीन आदेश के वाद को खारिज करने की सूचना दी जिस पर अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में

विलंब जानबूझकर नहीं किया गया है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी जमाबंदी संवत् 1358 वर्ष 12951–1952 में मंदिर मूर्ति श्री गोपालजी जरिये अहताम गोरधन दास चेला गोविन्द दास कौम साधू के नाम दर्ज थी जो जरिये नामांतकरण संख्या 113 दिनांक 19.7.1986 को जगदीश प्रसाद, बद्रीलाल पि0 रामकरण माली के नाम दर्ज हुई थी परन्तु राज्य सरकार के आदेशानुसार व न्यायालय के आदेश दिनांक 18.8.1988 से दर्ज नामांतकरण संख्या 336 दिनांक 22.9.1989 से पुनः मंदिर मूति के नाम दर्ज की गई है । विवादित भूमि मंदिर मूति गोपालजी की है जिसकी खातेदारी दिये जाने का प्रावधानों नियमों में नहीं होने से अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की है जो सही है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद अधी0न्याया0 में विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 2 की तलबी विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 ने वादी के वाद को कैम्प कोर्ट में निर्णित किया है जो विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 8.10.2015 को वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई । तत्पश्चात् लगभग 6 पेशियों तक पत्रावली में वास्ते तलबी तारीख तब्दील की जाकर दिनांक 16.5.2016 को पत्रावली कैम्प कोर्ट जूनिया में रखे जाने के आदेश पारित किये गये । दिनांक 16.5.2016 को अधी0न्याया0 में कैम्प कोर्ट जूनिया में रेस्पो संख्या 2 की तलबी के विचाराधीन रहते वादी/अपीलांट के वाद को निर्णित कर दिया जो आदेश 5 नियम 15 से 20 जा0दी0 का स्पष्ट रूप से उल्लघंन है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद में बिना तनकीयात कायम किये सरसरी तौर पर वादी का वाद खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है जो आदेश 20 नियम 5 के विपरीत है । अधी0न्याया0 को वाद में वादी के वादपत्र एवं जवाब दावा के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करने के उपरांत उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.5.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.5. 2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों

के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम कर, कायम तनकियात पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को तनकीवार गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर